

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 187 अलवर, 2009-2010

यह प्रमाणित किया जाता है कि तक्षिला रेजुकेशनाल

सोसायटी, मंजल जिला सिंदूर का
(बेहरोर)

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम नं. 28, 1958) के

अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक 10/01/10

सिंदूर का दफ्तर को
माह सन् 200-200 को अलवर में दिया गया।




रजिस्ट्रार संस्थायें
अलवर